

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद
विविधवाद / प्रथम अपील

संख्या.....38.....

वर्ष 20...23...



DISPOSED

बनाम

अपीलकर्ता श्री कमेश सिंह
ग्राम पंचायत - कोपै, प्र०-गनिक
जिला - लतेहार।

प्रतिवादी ~~श~~ जिला आपूर्ति पदा०, लतेहार

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023	<p style="text-align: center;">झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कैम्प कार्यालय, लातेहार वाद सं०-३३/2023</p> <p>आज दिनांक-27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक-09 पर अंकित शिकायतकर्ता श्री कमेश सिंह, ग्राम+पंचायत-कोपे, प्रखण्ड-मनिका, जिला-लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि माह मार्च एवं अप्रैल, 2023 का राशन उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि ई-पॉस मशीन में शिकायतकर्ता की पत्नी का अंगूठा का निशान मैच नहीं हो रहा था। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में इस बात का उल्लेख किया है कि डीलर राशन नहीं देता है। प्रत्येक माह मिलने वाला अनाज में कटौती करता है। मामले में आयोग के पत्रांक-WA/411/2023 दिनांक-11.07.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।</p> <p>आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया गया कि इस मामले में जाँच करें। परिवादी को भी निदेश दिया गया कि यदि उनकी पत्नी के अंगूठे का निशान ई-पॉस मशीन में मैच नहीं कर रहा था, तो वे स्वयं भी राशन लेने जा सकते हैं। यदि दोनों के अंगूठे का निशान ई-पॉस मशीन में मैच नहीं कर रहा है, तो शिकायतकर्ता को अपवाद पंजी के माध्यम से राशन देना सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	